



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आसीन्द मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

राजस्थान आवास विकास
एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

ए.एन.बी. कन्सलटेन्ट , जयपुर

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, सरकार

आभार

आसीन्द के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में आसीन्द के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगरी के सुनियोजित विकास कार्य में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आसीन्द का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। ए.एन.बी. कन्सलटेन्ट, जयपुर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुये सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधुत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल-प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

योजना दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर

1.श्री आर.एल. टुकलिया	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
2. श्री डी.एस. बारेठ	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
3. श्री अनिल पाथरिया	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
4. श्री श्रीगोपाल चितौडिया	:	उप नगर नियोजक
5. श्रीमति प्रीती गुप्ता	:	सहायक नगर नियोजक
6. श्री पवन पाल डागा	:	जिला नगर नियोजक, भीलवाडा
7. श्री मूलचन्द्र डीडवानियां	:	निजी सहायक
8. श्री हरिशंकर जाजू	:	कनिष्ठ लेखाकार
9. श्री शिवसिंह राजपूत	:	अन्वेषक ग्रेड –II
10. श्री श्रवण कुमार	:	वरिष्ठ प्रारूपकार
11. श्री रूपाराम चौधरी	:	अनुरेखक
12.श्री राजेश वर्मा	:	कनिष्ठ लिपिक
13.श्री सतीश कुमार	:	कम्प्यूटर ऑपरेटर

एएनबी कन्सलटेन्ट, जयपुर (राजस्थान)

1. श्री ए.एन. भार्गव	:	चीफ कन्सलटेन्ट
2. श्री मोहनलाल शर्मा	:	नगर नियोजक
3. श्री भगवान सहाय प्रजापत	:	ऑटोकेड ऑपरेटर
4. श्री विक्रम सिंह	:	कम्प्यूटर ऑपरेटर

विषय-सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
		आभार	
		योजना दल	
		विषय सूची	
		तालिका-सूची	
1		परिचय	1
2		विद्यमान विशेषताएं	3
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	3
	2.3	ऐतिहासिक	4
	2.4	जनांकिकी	4
	2.5	व्यावसायिक संरचना	5
	2.6	विद्यमान भू-उपयोग	6
	2.6.1	आवासीय	7
	2.6.2	वाणिज्यिक	8
	2.6.3	औद्योगिक	8
	2.6.4	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	8
	2.6.5	आमोद-प्रमोद	9
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	9
	2.6.6(अ)	शैक्षणिक सुविधाएं	10
	2.6.6(ब)	चिकित्सा सुविधाएं	11
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	11
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	11
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	11
	2.6.6 (य) (i)	जलापूर्ति	11
	2.6.6 (य) (ii)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	12
	2.6.6 (य) (iii)	विद्युत आपूर्ति	12
	2.6.6 (य) (iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	13
	2.6.7	परिसंचरण	13
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	13

	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	13
	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	13
3		नियोजन की संकल्पना	14
	3.1	नियोजन की नीतियां	15
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	15
4		भावी आकार	17
	4.1	जनांकिकी	17
	4.2	व्यावसायिक संरचना	17
	4.3	नगरीय क्षेत्र	18
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	18
	4.5	योजना क्षेत्र	19
	4.5 (अ)	पुराना शहर योजना क्षेत्र	19
	4.5 (ब)	सवाई भोज योजना क्षेत्र	20
	4.5 (स)	परिधी नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	20
5		भू-उपयोग योजना	21
	5.1	आवासीय	22
	5.2	वाणिज्यिक	23
	5.2.1	विधमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	24
	5.2.2	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	24
	5.2.3	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	25
	5.2.4	भण्डारण एवं गोदाम	25
	5.3	औद्योगिक	25
	5.4	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	25
	5.5	आमोद-प्रमोद	26
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	26
	5.6.1	शैक्षणिक सुविधाएं	26
	5.6.2	चिकित्सा सुविधाएं	27
	5.6.3	सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक स्थल	27
	5.6.4	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	28
	5.6.5	जनोपयोगी सुविधाएं	28
	5.6.5(अ)	जलापूर्ति	28
	5.6.5(ब)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	28

	5.6.5(स)	विद्युत	29
	5.6.5(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	29
	5.7	परिसंचरण	29
	5.7.1	प्रस्तावित यातायात संरचना	29
	5.7.1(अ)	सड़कों का सुधार	30
	5.7.1(ब)	प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार	31
	5.7.1(स)	ओवरब्रिज	32
	5.7.1(द)	पार्किंग व्यवस्था	32
	5.7.2	बस एवं ट्रक टर्मिनल	32
	5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	33
	5.9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	33
6		मास्टर प्लान का क्रियान्वयन	35
	6.1	प्रस्तावित आधार	35
	6.2	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	35
	6.3	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	35
	6.4	उपसंहार	36
परिशिष्ट:-			
1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 के उद्धरण (अध्याय द्वितीय)		37
2	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण		39
3	राजकीय अधिसूचना दिनांक 26.07.2010		41
4	राजकीय अधिसूचना दिनांक 15.02.2011		42
5	राजकीय अधिसूचना दिनांक 23.05.2013		43

तालिका –सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, आसीन्द – 1981–2010	5
2	व्यावसायिक संरचना, आसीन्द –2001–2010	6
3	विद्यमान भू-उपयोग, आसीन्द –2010	7
4	औद्योगिक संरचना, आसीन्द – 2010	8
5	राजकीय एवं अर्द्ध- राजकीय कार्यालय, आसीन्द –2010	9
6	शैक्षणिक सुविधाएं, आसीन्द –2010	10
7	उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक सुविधाएं, आसीन्द- 2010	10
8	चिकित्सा सुविधाएं, आसीन्द 2010	11
9	जलापूर्ति कनेक्शन , आसीन्द –2010	12
10	विद्युत कनेक्शन , आसीन्द –2010	13
11	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान 1981–2031	17
12	व्यावसायिक संरचना, आसीन्द 2001–2031	18
13	योजना क्षेत्र, आसीन्द –2031	19
14	प्रस्तावित भू-उपयोग, आसीन्द –2031	22
15	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, आसीन्द –2031	24
16	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, आसीन्द –2031	27
17	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, आसीन्द –2031	30
18	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार	30
19	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, आसीन्द–2031	32

परिचय

आसीन्द भीलवाड़ा जिले का एक प्रमुख कस्बा है। नगर पालिका के साथ ही यहां तहसील मुख्यालय हैं। यह खारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के उत्तर-पश्चिम दिशा में 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। जो ब्यावर एवं भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। आसीन्द में गुर्जर सामाज का प्रसिद्ध "श्री सवाई भोज महाराज" का मन्दिर स्थित हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बैंक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य आभियान्त्रिकी विभाग के कार्यालय हैं। आसीन्द से 18 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में बदनौर का किला आसीन्द-ब्यावर सड़क पर स्थित हैं।

आसीन्द की जनसंख्या सन 1981 में 9461 थी जो 1991 में 11080 एवं 2001 में 27.46 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ लगभग 14123 हो गयी। पिछले दशकों में सर्वाधिक वृद्धि 27.46 प्रतिशत 1991-2001 में आंकी गयी।

आसीन्द का अधिकांश भाग समतल है, बाहरी क्षेत्रों में छोटे-बड़े पहाड़ी क्षेत्र बिखरे हुए हैं। नगर का पश्च क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पानी की उपलब्धता से कृषि की पैदावार अच्छी होती है। यहाँ पत्थर उद्योग से सम्बन्धित कार्य एवं कपास से सूत एवं कपड़ा बनाने इत्यादि का कार्य होता हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय हैं, इसके आस पास के क्षेत्रों में गेहूँ, मक्का, मूंग, चना, कपास इत्यादि की खेती होती हैं। आसीन्द नगरपालिका सीमा का क्षेत्रफल लगभग 29 वर्गकिलोमीटर हैं।

कस्बे का विकास अनियोजित रूप से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित चौराहा, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों के विकास के साथ-साथ ही इन क्षेत्रों में आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर छितराये रूप में आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी मूलतः जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी तथा जलप्रवाह प्रणाली की भी पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए कस्बे के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 35 सन् 1959, की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 26, जुलाई, 2010 की अधिसूचना तत्पश्चात संशोधित अधिसूचना के क्रम में आसीन्द सहित 10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आसीन्द का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर के मार्ग निर्देशन में मैसर्स एएनबी कन्सलटैन्ट द्वारा कस्बे का भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीय स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं संकलित कर विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिनके आधार पर आसीन्द कस्बे के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 व क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसँख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित किया गया।

मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में जनसँख्या 33000 हो जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसँख्या के लिए 1517 एकड़ नगरीयकारण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 12500.0 एकड़ का 12.10 प्रतिशत है। इस मास्टर प्लान प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र, भू-उपयोग योजना मानचित्र 2031 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किए गए हैं।

कस्बे का मास्टर प्लान उसके भावी विकास के निर्देशन एवं वर्तमान समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किया जाता है ताकि वहाँ के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों को इसे समझने एवं स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलें। इसी बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु इस शहर का मास्टर प्लान प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि इस शहर के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।

आसीन्द मास्टर प्लान के प्रारूप पर 155 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्ति/सुझावों के तकनीकी विश्लेषण उपरान्त संशोधित मास्टर प्लान प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। उक्त संशोधित प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम -1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु यह संशोधित प्रारूप मास्टर प्लान प्रकाशित किया गया। संशोधित प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

आसीन्द मास्टर प्लान के संशोधित प्रारूप पर कुल 51 आपत्ति/सुझाव/ प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 64 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझाव का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जांच सके उपरान्त 13 आपत्ति/सुझाव बिन्दु स्वीकृत योग्य, 05 आपत्ति/सुझाव बिन्दु आंशिक स्वीकृत योग्य तथा 46 आपत्ति/सुझाव बिन्दु में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं/अस्वीकृत होना पाया गया।

इस प्रकार आसीन्द प्लान के नगरीय क्षेत्र मानचित्र तथा भू-उपयोग मानचित्र-2031 में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(154)नवि/3/2010 दिनांक 23.05.2013 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-5)

2

विद्यमान विशेषताएं

आसीन्द जिला भीलवाड़ा का एक उपखण्ड व नगर पालिका कस्बा है। यह भीलवाड़ा से उत्तर पश्चिम दिशा में 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजधानी जयपुर से इसकी दूरी लगभग 260 किलोमीटर है। ब्यावर से इसकी दूरी 56 किलोमीटर एवं गुलाबपुरा से लगभग 42 किलोमीटर है। बदनौर किला ब्यावर आसीन्द सड़क पर आसीन्द से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आसीन्द, आस पास के क्षेत्रों से भलीभांती सड़क मार्गों से जुड़ा है। प्रारम्भ में इस नगर का विकास खारी नदी के तट पर अपेक्षित उंचाई पर हुआ था वर्तमान में खारी नदी के उत्तरी ओर भी विकास होने से यह नगर को दो भागों में विभक्त करती है।

अन्य छोटे कस्बों की भाँति आसीन्द का विकास भी अनियोजित रूप से हो रहा है। अन्य कस्बों की तरह यहाँ भी संकरी सड़कें, अनियोजित वाणिज्य स्थलों का निर्माण, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़कों की खराब स्थिति, जन सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। कस्बे के बाहरी क्षेत्रों में भी विकास हुआ है परन्तु मूलभूत जनसुविधाओं का अभाव है। वर्तमान बस स्टेन्ड नदी के किनारे नदी क्षेत्र में ही स्थित है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :-

आसीन्द कस्बा जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिम दिशा में 25°44' उत्तरी अक्षांश एवं 74°33' पूर्वी देशान्तर के मध्य समुद्रतल से 467 मीटर (1532 फीट) की उंचाई पर स्थित है। आसपास के क्षेत्रों में कपास की खेती व स्टोन की उपलब्धता इस कस्बे को महत्व प्रदान करती है।

कस्बे की जलवायु सामान्यतः शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सैल्सियस तथा शरद ऋतु में 22 डिग्री सैल्सियस रहता है जबकि न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री एवं 3 डिग्री सैल्सियस के लगभग रहता है। यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा लगभग 660 मिलीलीटर है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :-

आसीन्द कस्बा वर्तमान में उपखण्ड कार्यालय, तहसील एवं पंचायत समिति का मुख्यालय है। आसीन्द कस्बा भीलवाड़ा के उत्तर-पश्चिम दिशा में 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ब्यावर से आसीन्द की दूरी 56 किलोमीटर है। "श्री सवाई शेज महाराज" मन्दिर मोतीपुरा रोड पर स्थित है जिसके कारण भी आसीन्द का विशेष महत्व है, निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास, तिल, जीरा, मक्का, चना, गेहूँ इत्यादि की खेती होती है। कृषि व्यवसाय यहाँ का मुख्य आधार है। कपास से सूत बनाने का कार्य होता है तथा जिनिंग मिल कार्यरत हैं। खारी नदी कस्बे को दो शर्कों में विभक्त करती है। कस्बे का सामान्य ढलान दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। आस पास छोटे-छोटे तालाब हैं यद्यपि अधिकांश सूखे रहते हैं। नदी में भी पानी आना बन्द हो गया है। आसीन्द में नगरपालिका का गठन 1976 में किया गया था।

2.3 ऐतिहासिक :-

आज से लगभग 1136 वर्षों पूर्व सन् 869 ईसवी में गुर्जरों ने इसे बसाया था। यहाँ के चौबिस बगड़ावतों में एक (आसो) आसाराव थे। उस समय तक आसीन्द का नाम आकखेड़ा (आकड़ाखेड़ा) था। आकखेड़ा को बसाने वाले गुर्जर थे जो रामपुर से आये थे। आसाराव ने आकखेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया और इस गांव का नाम बदल कर आसीन्द कर दिया। इसके साथ ही आसाराव की मूर्ति की स्थापना की जो आज भी खारी नदी के तट पर स्थित है तथा आसाराव नामक बावड़ी का निर्माण कराया। इस तरह यहाँ सवत 1450 तक तेड़वा गुर्जरों का राज्य था। दुल्हेसिंहजी ने आसीन्द के निकट बहुत बड़ा तालाब बनवाया। खारी नदी के तट पर श्य महलों का निर्माण करवाया गया था परन्तु उत्तरोत्तर स्थितियों में इनका निलामी के माध्यम से बेचान कर दिया गया। उक्त भूमि की स्थिति व्यावसायिक उद्येश्य से महत्वपूर्ण होने के कारण क्रेताओं ने इस ऐतिहासिक इमारत को 1989 में गिरा दिया, जो राजस्थान में इस तरह की कलात्मक इमारत को गिराने की प्रथम घटना है। इस प्रकार यहाँ के राजवंश और कलात्मक महलों का अन्त हो गया। अब केवल राजवंशजों की छतरियां, बड़ा मन्दिर, नया मन्दिर, आसीन्द रानी बावड़ी, दुल्हे सागर, अर्जुन सागर, शिकार बाड़ी महल आदि शेष हैं, जो राजघरानों की याद दिलाते रहते हैं।

आसीन्द खारी नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक कस्बा है, जो गुर्जर समाज के 'श्री सवाई भोज महाराज' के प्रसिद्ध मन्दिर के कारण जाना जाता है। 'श्री सवाई शेज महाराज' मन्दिर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व पृथ्वीराज के वंशजों ने करवाया था। हिन्दू साम्राज्य के समय यह 12 गांवों को मिलाकर रियासत बनायी गयी थी, जिस पर सिसोदिया राजपूत के वंशज का अधिकार था। इस प्रकार इस नगर का प्रारम्भिक विकास महलों के निर्माण के साथ प्रारम्भ हुआ तथा धीरे-धीरे नदी के दोनों ओर विकसित होता रहा है।

2.4 जनांकिकी :-

जनसँख्या की दृष्टि से आकड़े 1981 से उपलब्ध हैं। प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता पूर्व कस्बे का विकास सामान्यतः अवरुद्ध सा ही रहा। स्वतंत्रता पश्चात् कस्बे में विकास की गति पहले की अपेक्षा तीव्र हुई। आसपास के क्षेत्रों में कपास की अच्छी पैदावार होने के कारण जीनिंग फैक्टरी की भी स्थापना शुरू हो गयी थी तथा धागा बनाने का व्यवसाय स्थापित हो गया था। पिछली शताब्दी के अन्तिम दो दशकों में इस क्षेत्र में औद्योगिक ईकाई की स्थापना, कृषि व्यवसाय में उन्नति एवं कस्बे में अन्य विकास कार्यों के कारण यहाँ की जनसँख्या वृद्धि दर सामान्य रही है।

वर्ष 1981-91 एवं 1991-2001 के दशक में जनसँख्या वृद्धि दर क्रमशः 17.11 एवं 27.46 प्रतिशत रही जो राज्य की नगरीय जनसँख्या की औसत वृद्धि दर से आंशिक अधिक है। आसीन्द कस्बे की जनसँख्या एवं वृद्धि दर को तालिका -1 में दर्शाया गया है।

तालिका – 1
जनसँख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, आसीन्द 1981–2010

वर्ष	जनसँख्या	वृद्धि दर प्रतिशत
1981	9461	—
1991	11080	17.11
2001	14123	27.46
2010'	18500	30.99

स्रोत :- जनगणना, भारत एवं कन्सलटैन्ट अनुमान'

2.5 व्यावसायिक संरचना :-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आसीन्द कस्बे में कार्यरत व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 34.37 प्रतिशत रहा है। आसीन्द कस्बे का व्यावसायिक संरचना को तालिका – 2 में दर्शाया गया है। तालिका –2 से स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में कृषि व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं में कार्य करने वालों की सहभागिता अधिक रही। इससे स्पष्ट होता है कि आसीन्द कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र (Hinterland) का प्रमुख वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है तथा कृषि प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ कपास, गेहूँ, मक्का, चना इत्यादि की खेती होती है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 में आसीन्द में अन्य सेवाओं में 1230 व्यक्ति कार्यरत थे जो कि कुल कामगारों का 19.0 प्रतिशत है। आसीन्द में वाणिज्य एवं व्यापार में कार्य करने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 1275 थी तथा वर्ष 2010 में 1942 हो गयी जो कुल कार्यशील व्यक्तियों का 30.0 प्रतिशत है। सर्वाधिक कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत अन्य सेवाएँ, व्यापार एवं वाणिज्य तथा कृषि सम्बन्धित क्रियाओं में रहा है। तालिका – 2 में वर्ष 2001 तथा 2010 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है—

तालिका – 2
व्यावसायिक संरचना, आसीन्द-2001-2010

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010*	
		कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	1228	25.30	1942	30.0
2.	उद्योग	334	6.88	453	7.0
3.	निर्माण	250	5.15	259	4.0
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	1275	26.27	1942	30.0
5.	यातायात एवं संचार	561	11.56	648	10.0
6.	अन्य सेवाएं	1206	24.84	1230	19.0
	योग	4854	100.0	6475	100.0
	सहभागिता अनुपात		34.37		35.00
	जनसंख्या		14123		18500

स्रोत : जनगणना, भारत सरकार एवं कन्सलटेन्ट अनुमानित*

2.6 विद्यमान भू-उपयोग :-

आसीन्द कस्बे में आधार वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 415 एकड़ शूमि आती है। इसमें से 384 एकड़ शूमि विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जो नगरीयकृत क्षेत्र का लगभग 92.57 प्रतिशत है यहाँ कुल विकसित क्षेत्र की लगभग 39 प्रतिशत शूमि आवासीय उपयोग के अन्तर्गत काम में ली जा रही है तथा शेष शूमि अन्य शू-उपयोग के अन्तर्गत आती है। वर्तमान में कुल विकसित क्षेत्र में 150 एकड़ शूमि आवासीय प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। आवासीय के पश्चात् परिसंचरण के अन्तर्गत कुल 77 एकड़ शूमि तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत कुल 52 एकड़ शूमि आती है। वाणिज्यिक आमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत क्रमशः 35, 11 एवं 51 एकड़ शूमि आती है। तालिका – 3 में वर्ष 2010 में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत आने वाली भूमि को दर्शाया गया है।

तालिका – 3
विद्यमान भू-उपयोग, आसीन्द – 2010

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल(एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	150	39	36
2.	वाणिज्यिक	34	9	8
3.	औद्योगिक	51	13	12
4.	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	8	2	2
5.	आमोद-प्रमोद	11	3	3
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	52	14	13
7.	परिसंचरण	77	20	19
	कुल विकसित क्षेत्र	384	100	93
8.	जलाशय	—	—	—
9.	कृषि एवं रिक्त भूमि	31	—	7
	नगरीयकृत क्षेत्र	415	—	100.00

स्रोत : कन्सलटेन्ट सर्वेक्षण।

2.6 (1) आवासीय :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसँख्या 11080 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 14123 हो गयी तथा वर्ष 2010 में 18500 होने का अनुमान है। कस्बे में वर्ष 2001 में परिवारों की संख्या 2482 थी जो अन्य शहरों की तुलना में कम है। वर्ष 2010 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 150 एकड़ भूमि आती है। जो विकसित क्षेत्र का 39 प्रतिशत है। वर्ष 2010 में आवासीय घनत्व लगभग 123 व्यक्ति प्रति एकड़ है जो अधिक है। आसीन्द कस्बे में आवासीय विकास संकरी गलियों के रूप में होने एवं पर्याप्त खुला क्षेत्र नही होने तथा नवीन विकास भी नियोजित रूप में नही होने के कारण आवासीय घनत्व अधिक है।

कस्बे की पुरानी आबादी में अधिकांशतः मकानात पक्के बने हुए हैं। प्रसिद्ध बड़ा मन्दिर, चार श्रुजा मन्दिर, महल का विद्यमान शग, तेरापंथी भवन इत्यादि इसी क्षेत्र में स्थित है, कस्बे के पूर्व दिशा में भीलवाड़ा रोड व शाहपुरा रोड पर भी विकास हो रहा तथा गोविन्दपुरा कालोनी विकसित हो रही है। इस दिशा में प्रसिद्ध सवाईभोज मन्दिर स्थित होने कारण भी कालोनी का विकास हो रहा है। दक्षिण दिशा में एक अन्य गोविन्दपुरा क्षेत्र विकसित हो रहा है। उत्तर में तहसील कार्यालय से पहले राणा राजपूत कालोनी, आदर्श नगर इत्यादि विकसित हो रहे हैं। पश्चिम दिशा में चेनपुरा रोड पर भी आवासीय कालोनी विकसित हो रही है।

नगर पालिका क्षेत्र में घोषित कच्ची बस्ती स्थित नही है परन्तु कुछ क्षेत्रों में कच्चे पक्के मकान एवं कच्ची सड़कों के कारण कच्ची बस्ती की स्थिति विद्यमान है। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित हैं।

2.6 (2) वाणिज्यिक :-

आसीन्द कस्बा आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। कृषि आसीन्द का मुख्य व्यवसाय है। इसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूँ, मक्का, मूँग, चना, कपास इत्यादि की खेती होती है। कपास की अच्छी पैदावार होती है तथा यह पृष्ठ क्षेत्र (भूदजमतसंदक) के लिए व्यापार केन्द्र की तरह कार्य करता है। नगर पालिका कार्यालय सड़क, टैक्सी स्टेण्ड चौराहा, बड़ा मन्दिर चौराहा के क्षेत्र मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र हैं। नए बाजार भीलवाड़ा रोड पर मन्डी क्षेत्र के आसपास, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के आसपास, आमलीखेड़ा एवं ब्यावर रोड चौराहा के आसपास विकसित हो रहे हैं। कस्बे के कुल 384.54 एकड़ विकसित क्षेत्र में से 35 एकड़ शूमि वाणिज्यिक भू-उपयोग के अन्तर्गत आती है जो लगभग 9 प्रतिशत है। कृषि जिन्सों का थोक व्यापार एवं खुदरा व्यापार कृषि मण्डी प्रांगण में होता है जो भीलवाड़ा रोड के उत्तर में स्थित है। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्यतः जनरल स्टोर कपड़े, परचून एवं इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें प्रमुख हैं।

2.6 (3) औद्योगिक :-

कस्बे में मोतीपुरा रोड के दक्षिण में रीको द्वारा औद्योगिक शूखण्ड आवटित किये गये हैं। बाजुन्दा रोड एवं गोविन्दपुरा में पत्थर पिसाई की 21 ईकाईयाँ संचालित है। पशु आहार की एक ईकाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय चौराहा के पास जीनिंग फैक्ट्री स्थापित है। इसी प्रकार भीलवाड़ा रोड पर रीको क्षेत्र में मार्बल कटिंग की 3 ईकाईयाँ कार्यरत है। वर्ष 2010 में औद्योगिक ईकाईयाँ में लगभग 885 श्रमिक कार्यरत है। अन्य औद्योगिक ईकाईयाँ ईट भट्टे के रूप में है। तालिका - 4 में आसीन्द में कार्यरत औद्योगिक ईकाईयाँ का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका - 4

औद्योगिक संरचना, आसीन्द -2010

क्र.सं.	उद्योग का प्रकार	औद्योगिक ईकाईयाँ की संख्या
1.	जीनिंग फैक्ट्री	3
2.	पशु आहार फैक्ट्री	1
3.	खाद फैक्ट्री	1
4.	प्लास्टिक (पोलिथीन) फैक्ट्री	1
5.	मार्बल कटिंग फैक्ट्री	3
6.	पत्थर पिसाई (पाउडर) फैक्ट्री	21
7.	ईट भट्टा	1
योग		31

स्रोत:- सर्वेक्षण

2.6(4) राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय :-

आसीन्द कस्बे के उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय होने के कारण राजकीय एवं अन्य प्रशासनिक सम्बन्धित क्रियाकलापों ने कस्बे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वेक्षण

के अनुसार आसीन्द में 18 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय हैं जिनमें फील्ड कर्मचारी सम्मिलित करते हुए 354 कर्मचारी नियोजित है। कस्बे में केन्द्र सरकार के 2 एवं राज्य सरकार के 14 कार्यालय संचालित है। राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय लगभग 8 एकड़ शूमि पर स्थित है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 2 प्रतिशत है। तालिका – 5 में राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय एवं कर्मचारियों को दर्शाया गया है।

तालिका – 5

राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय कार्यालय, आसीन्द – 2010

क्र.सं.	कार्यालय का स्वरूप	कार्यालय भवन			कर्मचारियों की संख्या		
		राजकीय	किराये के	कुल कार्यालय	कार्यालय कर्मचारी	(फिल्ड) क्षेत्र कर्मचारी	योग
1.	केन्द्र सरकार	2	—	2	14	8	22
2.	राज्य सरकार	12	2	14	105	215	320
3.	अर्द्ध-राजकीय	2	—	2	7	5	12
	योग	16	2	18	126	228	354

स्रोत—कन्सलटेन्ट सर्वेक्षण

2.6(5) आमोद-प्रमोद :-

किसी भी नगर में उद्यान, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में जो स्थान फेफड़ों का है वही स्थान कस्बे, शहर में पार्क, खुलेस्थान एवं खेल के मैदान का है। आसीन्द में जनसँख्या की दृष्टि से पार्क, खुलेस्थान एवं खेल के मैदान पर्याप्त सँख्या में उपलब्ध नहीं है।

आसीन्द कस्बे में आमलीखेड़ा रोड पर जैन समाज धर्मशाला के पास दो पार्क स्थित है। एक अन्य खुला मैदान सवाईभोज महाराज के मन्दिर के दक्षिण में स्थित है जो खेल का मैदान व मेला ग्राउन्ड के रूप में उपयोग में आता है।

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 11 एकड़ शूमि आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 3 प्रतिशत है।

2.6(6) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएँ :-

इस भू उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2010 में 52 एकड़ शूमि रही है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 14 प्रतिशत है। वर्ष 1981 के पश्चात् कस्बे की जनसँख्या में तीव्र वृद्धि हुई है परन्तु इस समय वांछित योजना मानदण्डों की अनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास नहीं होने से वर्तमान सुविधाएँ अपर्याप्त है।

2.6 (6) अ. शैक्षणिक सुविधाएँ :-

आसीन्द कस्बे में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। कस्बे में 6 प्राथमिक विद्यालय, 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 4 माध्यमिक विद्यालय है। कस्बे में केवल एक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में पंचायत समिति रोड पर स्थित है, इसमें खेल का मैदान इत्यादि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। कस्बे में उच्च शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूलों में भी खेल के मैदान उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण तालिका - 6 एवं 7 में दर्शाया गया है।

तालिका - 6
शैक्षणिक सुविधाएं, आसीन्द - 2010

क्र. स.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय(1-5)	6-10	324	300	92.59	6	50
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	2149	1904	88.59	8	238
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-12)	14-17	3329	2706	81.28	4	676
	योग		5802	4910	84.63	18	273

स्रोत- कन्सलटेन्ट सर्वेक्षण एवं शिक्षा विभाग

तालिका - 7
उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक सुविधाएं आसीन्द-2010

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत शिक्षकों की संख्या
1.	महाविद्यालय	1	298	8

स्रोत- कन्सलटेन्ट सर्वेक्षण

2.6 (6) ब. चिकित्सा सुविधाएँ :-

आसीन्द कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्राह्मण मौहल्ला के पास डाकघर के सामने स्थित है। इसमें 50 शैय्याओं की सुविधा है। पशुचिकित्सालय केरिया खेड़ा रोड पर नदी के किनारे स्थित है। एक निजी चिकित्सालय भी उपलब्ध है परन्तु शैय्याओं की उपलब्धता इसमें नहीं है। आसीन्द में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को तालिका - 8 में दर्शाया गया है।

तालिका - 8

चिकित्सा सुविधाएं, आसीन्द- 2010

क्र. सं.	चिकित्सालय	राजकीय चिकित्सालय			
		संख्या	चिकित्सक	कार्यालय कार्मिक	शैय्याएँ
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	6	35	50
3.	पशु चिकित्सालय	1	2	10	—
4.	निजी चिकित्सालय	1	1	3	—
	योग	3	9	48	50

स्त्रोत-कन्सलटेन्ट सर्वेक्षण एवं चिकित्सा विभाग

2.6 (6)स. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल:-

आसीन्द कस्बे में गुर्जर समाज का प्रसिद्ध श्री सवाईभोज महाराज का मन्दिर स्थित है। यहाँ के महल निर्माण रियासत के समया किया गया था जिसको 1986 में विक्रय कर दिये जाने के उपरान्त गिरा दिया। इस प्रकार यहाँ के राजवंश व कलात्मक महलों का अन्त हो गया। अब केवल राजवंशजों की छतरियाँ, बड़ा मन्दिर, नया मन्दिर, आसीन्द रानी बावड़ी, दुल्हे सागर, अर्जुनसागर, शिकार बाड़ी महल शेष है। आसीन्द से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बदनौर का किला आसीन्द-ब्यावर सड़क पर स्थित है।

2.6 (6)द. अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :-

कस्बे में प्रतापपुरा रोड के चौराहा पर एक दूरभाष केन्द्र संचालित है। वर्तमान में 959 कनेक्शन विभिन्न श्रेणियों के दिए गए हैं। डाकघर सरकारी अस्पताल के सामने स्थित है। यहाँ पुलिस थाना भीलवाड़ा रोड पर गोविन्दपुरा में स्थित है। आसीन्द में सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह तथा दो धर्मशालाएँ एवं एक गैस्ट हाउस की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध है। कस्बे में 3 बैंक संचालित हैं।

2.6(6)य जनोपयोगी सुविधाएं :-

2.6(6)य (प) जलापूर्ति :-

कस्बे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाती है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति के लिए कुआँ एवं हैन्डपम्प है। जलवितरण का मुख्य स्त्रोत दातड़ा (खारी बाँध) है।

जलदाय विभाग द्वारा कस्बे में तीन स्थानों पर ओवरहैड टैंक बनाए गए हैं तथा तीनों सेवारत है। यहाँ औसत जलापूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर के लगभग है जो एक लाख से कम जनसँख्या वाले कस्बों के लिए अपनाये जाने वाले मापदण्ड 100 से 120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बहुत कम है। वर्ष 2010 में आसीन्द कस्बे के जलापूर्ति कनेक्शनों को तालिका – 9 में दर्शाया गया है।

तालिका- 9
जलापूर्ति कनेक्शन, आसीन्द – 2010

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या
1.	आवासीय	1732
2.	व्यावसायिक	08
3.	राजकीय	15
4.	औद्योगिक	19
5.	सार्वजनिक एवं अन्य	40
	योग	1814

स्त्रोत- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आसीन्द

2.6(6)य (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

आसीन्द कस्बे में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण जल-मल का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सैप्टिक टैंक व सोकपिट व्यवस्था उपलब्ध है। ठोस कचरे के समुचित ढंग से निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं है।

2.6(6)य (iii) विद्युत :-

आसीन्द कस्बे में विद्युत व्यवस्था के रखरखाव और विद्युत वितरण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जाता है। विद्युत आपूर्ति चेनपुरा रोड पर स्थित 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन द्वारा प्राप्त विद्युत से होती है। वर्ष 2010 में आसीन्द में विभिन्न उपयोगों में विद्युत कनेक्शनों को तालिका – 10 में दर्शाया गया है।

तालिका – 10
विद्युत कनेक्शन, आसीन्द – 2010

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या
1.	आवासीय	1828
2.	व्यावसायिक	357
3.	लघु उद्योग	57
4.	कृषि	108
5.	सड़क विद्युतिकरण	7
6.	एच.टी.	3
7.	एम.आई.पी	28
	योग	2388

स्रोत— जयपुर विद्युत वितरण निगम, आसीन्द

2.6(6) श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

कस्बे में श्मशान एवं कब्रिस्तान विभिन्न स्थानों पर खारी नदी के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित है।

2.6(7) परिसंचरण :-

2.6(7)अ यातायात व्यवस्था :-

आसीन्द कस्बा ब्यावर, गुलाबपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा से सड़क मार्गसे सीधा जुड़ा हुआ है। पुराने कस्बे की सड़के संकड़ी तथा टेड़ी-मेड़ी है जिन पर भीड़ रहती है। कस्बे में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से वाहनों की पार्किंग छोटी-बड़ी सभी सड़कों पर ही होता है, जिससे यातायात में व्यवधान होता है। भीलवाड़ा, ब्यावर व भीम जाने वाली सड़के कस्बे से होकर गुजरती है, जो इस कस्बे को राज्य के विभिन्न शहरों से जोड़ती है।

2.6(7)ब बस एवं ट्रक टर्मिनल :-

बस स्टेण्ड वास्तविक रूप में खारी नदी में है। खारी नदी में पानी नहीं आने के कारण बस स्टेण्ड चालू है परन्तु यह उचित स्थान नहीं है। कस्बे में नियोजित ट्रक टर्मिनल नहीं होने से यातायात बाधित रहता है। औद्योगिक क्षेत्र व मण्डी क्षेत्र में भी ट्रक टर्मिनल की आवश्यकता है। अभी निजी टैक्सियाँ नगर पालिका कार्यालय चौराहा के पास सड़क किनारे व निजी बसें बस स्टेण्ड के पास खड़ी रहती है।

2.6(7)स रेल सेवा :-

आसीन्द में रेल सेवा उपलब्ध नहीं है यहां के नागरिक बिजयनगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा एवं माण्डल रेलवे स्टेशन तक जाकर रेल सेवा का उपयोग करते है।

नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहाँ के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहाँ एक ओर सुरक्षा के कारणों से कस्बे का विकास सघन (कॉम्पैक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराये रूप में बसने लग गयी है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गाँवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

आसीन्द कस्बे की स्थापना भी सघन रूप में सुरक्षा की दृष्टि से की गयी थी। अब बाहरी इलाकों में भी अनेक विकास जैसे आवास, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय, उद्योग आदि हो गया हैं। कस्बे का नया विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भाँति यहाँ भी छितराये विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहाँ के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन-प्रतिदिन के प्रकरणों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के सन्दर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अनेक अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ऐसे कदम और आगे बढ़ाता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जाता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकांकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है, इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जिन्हें सुरक्षित बनाए रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। कतिपय मान्यताएँ निर्धारित कर उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पडती है। इन्हीं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। आसीन्द नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ :-

अनुमान है कि आगामी दशकों में आसीन्द उपखण्ड मुख्यालय एवं पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं शिक्षा और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित होगा।

ब्यावर सड़क पर प्रतापुरा चौराहा पर निरन्तर रूप में विकास हो रहा है जिसके लिए एक अलग से योजना बनाई जाकर विकास किया जाना चाहिए।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :-

आसीन्द कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक विकास के मद्देनजर विभिन्न भू-उपयोग के लिए समुचित भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किए गए हैं :-

1. आसीन्द कस्बे में स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. आसीन्द कस्बे के मध्य भागों में भी वर्तमान में कृषि की जा रही है जिससे विकसित क्षेत्रों का आपस में लिंक नहीं हो रहा है। अतः इन क्षेत्रों की भूमियों का नगरीय उपयोग किया जाना चाहिए।
3. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामंजस्य स्थापित रहे।
4. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषणजनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
5. आसीन्द के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
6. संकरी सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर फल सब्जी, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, उनके थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।
7. नगर में राजकीय कार्यालय, अर्द्धराजकीय कार्यालयों के लिए उचित स्थल का प्रावधान किया जाकर एक ही परिसर विकसित किया जाना चाहिए।
8. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत

- वितरण किया जाना चाहिए। उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों के आधार पर नियोजित रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए।
9. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये कि जिससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य व उपमार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए तथा बस स्टेण्ड एवं ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए उचित स्थल का चयन कर विकसित किया जाना चाहिए।
 10. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के बेतरतीब विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की जानी चाहिए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।
 11. कृषि मन्डी के पास भीलवाड़ा रोड के दोनों ओर स्थित तालाब क्षेत्र व सवाई भोज मन्दिर के पास तालाब व उसके आस पास के क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिए।
 12. कस्बे की स्थिति के सन्दर्भ में भीलवाड़ा, शाहपुरा, केरिया खेड़ा, ब्यावर, बाजुन्दा, आमलीखेड़ा व भीम को जाने वाली सड़कों को जोड़ते हुए सुगम बाईपास का प्रावधान रखा जावे जिससे इन कस्बों को जाने वाला यातायात शहर से होकर नहीं जाये व दुर्घटना की सम्भावना से भी बचा जा सके।
 13. उक्त क्षेत्र में नदी, नालों, तालाबों, प्राकृतिक संसाधनों एवं तालाब के बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर उन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाये तथा मौके पर हो रहे अतिक्रमणों को पर्यावरण स्वच्छता के लिए हटाया जाना चाहिए।
 14. बाह्य मार्गों के किनारे पौधारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए। नगर में प्रस्तावित संस्थागत भवनों/औद्योगिक इकाईयों में भी पौधारोपण की सुनिश्चितता की जानी चाहिए।
 15. सवाई भोज क्षेत्र में स्थित मन्दिर पर प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले राज्य स्तरीय मेले के लिए मेला ग्राउण्ड एवं पार्किंग स्थल विकसित करते हुए सुगम यातायात व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4. भावी आकार

4.1 जनांकिकी :-

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार आसीन्द की जनसंख्या 9461 थी। 1991-2001 के दशक में कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर 27.46 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। अनुमान है कि इस योजना अवधि में आसीन्द का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 33000 हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि एवं आप्रवास को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 1981 से 2031 तक के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर एवं अनुमानों को तालिका - 11 में दर्शाया गया है :-

तालिका-11

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, आसीन्द 1981-2031

क्र.सं	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत में
1.	1981	9461	-	-
2.	1991	11080	1619	17.11
3.	2001	14123	3043	27.46
4.	2010'	18500	4377	30.99
5.	2021'	24500	6000	32.43
6.	2031'	33000	8500	34.69

स्रोत :- जनगणना विभाग एवं अनुमान'

4.2 व्यावसायिक संरचना :-

वर्ष 2001 में आसीन्द कस्बे में सहभागिता अनुपात 34.37 प्रतिशत था जो वर्ष 2010 में 35 प्रतिशत होने का अनुमान है। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना का भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलन किया गया है तथा सहभागिता का अनुपात 36 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2010 में 6475 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2031 में 11880 कार्यशील व्यक्ति होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और वाणिज्य इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ बनी रहेंगी। इसके अतिरिक्त आसीन्द एक प्रशासनिक एवं शिक्षा का केन्द्र बना रहेगा जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएँ बनी रहेंगी। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका-12 में दर्शाया गया है।

तालिका-12
व्यावसायिक संरचना, आसीन्द 2010-2031

क्र. सं.	व्यवसाय	आधार वर्ष		वर्तमान अनुमान		प्रस्तावित अनुमान	
		वर्ष 2001		वर्ष 2010		वर्ष 2031	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन संबंधित क्रियाएँ	1228	25.30	1942	30.00	2732	23.00
2.	उद्योग	334	6.88	453	7.00	950	8.00
3.	निर्माण	250	5.15	259	4.00	714	6.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	1275	26.27	1942	30.00	3564	30.00
5.	यातायात एवं संचार	561	11.56	648	10.00	1188	10.0
6.	अन्य सेवाएँ	1206	24.84	1230	19.00	2732	23.00
	योग	4854	100.00	6475	100	11880	100
	सहभागिता अनुपात		34.37		35.00		36.00

स्रोत :- कन्सलटेन्ट अनुमान'

4.3 नगरीय क्षेत्र :-

आसीन्द कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत आसीन्द सहित 10 राजस्व ग्रामों को आसीन्द के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 12500.0 एकड़ है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके चारों ओर अनियोजित विकास को नियोजित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 10 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट 2 पर दी गयी है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :-

अनुमान है कि वर्ष 2010 की 18500 अनुमानित जनसंख्या की तुलना में 2031 में आसीन्द की जनसंख्या बढ़कर 33000 हो जायेगी। इस प्रकार नियोजन अवधि में इस कस्बे में लगभग 14500 व्यक्ति बढ़ जायेंगे। अतः बड़ी हुई जनसंख्या के रहने, कार्य करने और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती हैं कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः भीलवाड़ा रोड साथ, ब्यावर रोड के साथ चैनपुरा रोड की दिशा में होगा। आसीन्द के नगरीय क्षेत्र की सम्भावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 1517.0 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर मुख्य

कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि सम्भावित जनसंख्या को नियोजित ढंग से बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था से जोड़ने के लिए कुल 1367.0 एकड़ विकास योग्य भूमि की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :-

सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से आसीन्द नगरीय क्षेत्र को तीन योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रस्ताव करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्वरूपों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, व्यवसाय, आमोद प्रमोद तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र स्वनिर्भर इकाई के रूप में होगा। इन योजना क्षेत्रों को तालिका-13 में दर्शाया गया है।

तालिका-13

योजना क्षेत्र, आसीन्द-2031

क्र. सं	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	पुराना शहर योजना क्षेत्र	740.0	23000
ब.	सवाई भोज योजना क्षेत्र	773.0	10000
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1513.0	33000
स.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	10987.0	—
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	12500.0	—

स्रोत :- कन्सल्टैन्ट का आंकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, सन 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र :-

यह योजना क्षेत्र खारी नदी के पश्चिम का क्षेत्र है। उत्तर में प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क ब्यावर रोड, तहसील कार्यालय के पश्चिम में रिंग रोड, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में रिंग रोड के बीच के भाग में स्थित इस योजना क्षेत्र में पुरानी आबादी का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यालय कॉम्प्लैक्स, स्टेडियम, व्यावसायिक महाविद्यालय इत्यादि के साथ पुरानी आबादी का क्षेत्र भी सम्मिलित है। यह कस्बे का पुराना अधिवास हैं जिसमें सघन आवास क्षेत्र हैं एवं खुले क्षेत्रों का अभाव हैं। प्रस्तावित समीपवर्ती नये क्षेत्रों में इन सुविधाओं

को प्रस्तावित कर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में एक स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) कार्यालय हेतु क्षेत्र, पार्क, अस्पताल, कॉलेज, अन्य सामुदायिक सुविधाएं आदि प्रस्तावित है। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 740.0 एकड़ है।

(ब) सवाई भोज योजना क्षेत्र :-

यह क्षेत्र पश्चिम में खारी नदी, पूर्व व दक्षिण में प्रस्तावित रिंग रोड व उत्तर में सवाई भोज मन्दिर क्षेत्र में प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क के बीच के भाग में स्थित है। इसमें पुरानी आबादी का आंशिक क्षेत्र व रीको का औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है। साथ ही इस क्षेत्र में गुर्जर समाज का प्रसिद्ध सवाई भोज मन्दिर है, जहाँ बड़े आधार पर मेला लगता है। कृषि उपज मन्डी, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, निर्माणाधीन महाविद्यालय इस क्षेत्र में स्थित है। नये क्षेत्रों में एक स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.), सीनियर सैकण्डरी स्कूल, अन्य सामुदायिक केन्द्र, पार्क, अस्पताल, जनोपयोगी सुविधा केन्द्र बस स्टैन्ड इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 773.0 एकड़ है।

(स) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र :-

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, राज्य मार्ग सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे गिट्टी, क्रशर, ईट एवं चूना भट्टा इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10987.0 एकड़ है।

5. भू –उपयोग योजना

मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की प्रवृत्ति, भौतिक अवरोध, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है जिसे प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र के रूप में रूपान्तरित किया गया है। आसीन्द कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य कस्बे को सन्तुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास का एक दस्तावेज हैं।

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय भू-उपयोगों हेतु उपयुक्त जन घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भू-उपयोगों हेतु कुल 1517.0 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गई है। उक्त भू-उपयोग वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र में से 54.30 प्रतिशत आवासीय, 4.53 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4.69 प्रतिशत औद्योगिक, 1.54 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय, 6.00 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, 13.82 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 15.12 प्रतिशत परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत भूमि प्रस्तावित की गयी है। विद्यमान स्थिति में कस्बे का फैलाव छितराये रूप में होने के कारण, सवाई भोज मन्दिर की भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने व तालाब क्षेत्र सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप कस्बे का घनत्व लगभग 22 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित किया गया है। तालिका -14 में 2031 तक विभिन्न उपयोगों अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका-14
प्रस्तावित भू-उपयोग, आसीन्द 2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	743.0	54.30	49.00
2.	वाणिज्यिक	62.0	4.53	4.08
3.	औद्योगिक	64.0	4.69	4.23
4.	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	21.0	1.54	1.38
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	82.0	6.00	5.40
6.	आमोद-प्रमोद	189.0	13.82	12.31
7.	परिसंचरण	206.0	15.12	13.60
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	1367.0	100.00	90.03
8.	तालाब, नालें	150.0	—	9.97
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1517.0	—	100.00

स्रोत :- कन्सलटेन्ट का आंकलन

5.1 आवासीय :-

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मोहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मोहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाइयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है। इस प्रकार आसीन्द नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 33000 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के

अनुरूप विस्तृत योजनाएँ बनाकर किया जायेगा। आसीन्द कस्बे का आवासीय घनत्व वर्ष 2031 में लगभग 46 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है।

क्षितिज वर्ष 2031 तक प्रस्तावित 33000 जनसंख्या के लिए भू उपयोग योजना में 743 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 54.30 प्रतिशत है। भू उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के समीप कार्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए चेनपुरा रोड, ब्यावर रोड, के पूर्व पश्चिम दिशा में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधाएँ प्रस्तावित की गयी हैं। इनके पास ही राजकीय कार्यालय, चिकित्सा, शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं सामुदायिक सुविधायें प्रस्तावित की गई हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा रोड के दक्षिण में भी आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास स्थल के रूप में विकसित किये जायेंगे। रीको औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी के समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये दो प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः 75 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम एवं 75 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित किये गये है।

कस्बे के आवासीय क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण विद्यमान छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।

5.2 वाणिज्यिक :-

अपने पृष्ठक्षेत्र के लिए आसीन्द वाणिज्यिक और व्यापार एवं वितरण के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होने की सम्भावना है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 3564 कार्यशील व्यक्तियों अर्थात् कुल कार्यशील व्यक्तियों का 30 प्रतिशत कार्यरत रहेंगे। इन सुविधाओं का वितरण इस प्रकार किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक आवागमन की दूरी का न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम रूप में वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रस्तावित किया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 62.0 एकड़ है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 4.53 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। भू उपयोग योजना में 2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका-15 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका-15
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, आसीन्द 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल	17.0
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) 1. कृषि मण्डी के दक्षिण-पूर्व में 2. ब्यावर बाई पास सड़क के दक्षिण में राजकीय चिकित्सालय के समीप	8.0 8.0
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार	13.0
4.	गोदाम एवं भण्डारण	13.0
	कुल योग	59.0

स्रोत :-कन्सलटेन्ट का आंकलन

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ :-

कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियाँ आसीन्द के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अपनी सतत सेवायें प्रदान करता रहेगा तथा कस्बे के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा ।

कस्बे के आन्तरिक भाग में वर्तमान में कार्यरत थोक वाणिज्यिक मण्डी जैसे- सब्जी मण्डी, फल मण्डी इत्यादि को भीलवाड़ा रोड के उत्तर में मन्डी प्रांगण की खाली भूमि में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। मन्डी प्रांगण के 3.0 एकड़ क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री थोक व्यापार केन्द्र भी किया जाना प्रस्तावित है। यातायात की दृष्टि से कस्बे का आन्तरिक भाग व्यस्ततम क्षेत्र है तथा यहाँ कोई ट्रक स्टेण्ड एवं गोदाम की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सब्जी, फल इत्यादि व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में भी नियोजित तरीके से समायोजित की जायेगी। नये परिसर को सुनियोजित योजना बनाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) :-

वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 16.0 एकड़ भूमि में 2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के समीप व बाजुन्दा रोड के दक्षिण में राजकीय चिकित्सालय के समीप प्रस्तावित किए गए हैं, जोकि प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं।

उक्त प्रस्तावित, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें,

वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इससे नागरिकों को मुख्य शहरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार :-

कस्बे में लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री इत्यादि के थोक व्यापार की सम्भावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 3.0 एकड़ भूमि कृषि मन्डी प्रांगण में प्रस्तावित हैं साथ ही इसके समीप 2.0 एकड़ भूमि फल सब्जी मन्डी के लिए प्रस्तावित की गयी हैं। कृषि मन्डी परिसर की भूमि का समुचित उपयोग नही होने के कारण उपरोक्त दोनों गतिविधियाँ मन्डी प्रांगण की भूमि में प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के विस्तृत पैमाने पर लदान एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। कृषि उत्पादों के थोक व्यापार का कार्य विद्यमान कृषि मन्डी प्रांगण में यथावत जारी रहेगा। इस प्रकार उपयोग में कुल 13.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम :-

कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित है। भू-उपयोग योजना में रीको औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में व बाजुन्दा रोड के दक्षिण में इसका प्रावधान किया गया है जो रीको क्षेत्र के साथ बाजुन्दा रोड के साथ विकसित हो रही औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यहाँ औद्योगिक उत्पाद इत्यादि के भण्डारण की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 13.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.3. औद्योगिक :-

आसीन्द में पिछले दशक में जीनिंग फैक्ट्री, पत्थर पिसाई (पाउडर) फैक्ट्री आदि अनेक उद्योगों की स्थापना हुई है। साथ ही रीको द्वारा मोतीपुर रोड के दक्षिण में सवाई भोज की भूमि के सामने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। औद्योगिक विकास हेतु प्रदत्त विभिन्न सरकारी छूट के चलते विकास की यह प्रवृत्ति आगामी वर्षों में भी जारी रहने की सम्भावना है। औद्योगिक इकाइयाँ रीको औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं परन्तु शहर में मन्डी के दक्षिण एवं पश्चिम में अव्यवस्थित एवं अनियोजित रूप से भी कुछ इकाइया कार्यरत हैं। बाजुन्दा रोड के साथ दक्षिण-पश्चिम में लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक छितराये रूप में मिनरल पाउडर की औद्योगिक इकाई स्थापित है व स्थापित हो रही है। छितराई हुई औद्योगिक इकाइयाँ, सार्वजनिक सुविधाओं तथा अवसंरचना के अनुकूलतम लाभ तब ही प्राप्त कर सकती हैं जब उन्हें नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाये। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ जो अव्यवस्थित रूप से नगर के विभिन्न भागों में स्थापित है, उन्हें मोतीपुर रोड पर नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही बाजुन्दा रोड पर व्यवस्थित एवं नियोजित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 64.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.4 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय :-

वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा माना सकता है कि भविष्य में भी यह कस्बा प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा, अतः भू उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में अलग अलग स्थलों

पर कार्यरत हैं। राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु लगभग 19 एकड़ अतिरिक्त भूमि भीलवाड़ा रोड़ के दक्षिण में प्रस्तावित रिंग रोड़ पर आरक्षित की गई है।

इस प्रकार कस्बे में योजना अवधि 2031 तक विद्यमान एवं प्रस्तावित क्षेत्र दोनों को मिलाकर 21 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 1.54 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद-प्रमोद :-

किसी भी कस्बे में उद्यान एवं खुले स्थान पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आसीन्द में उद्यान एवं खेल के मैदानों का अभाव है। वर्तमान में खेल का मैदान सवाई भोज महाराज के मन्दिर के दक्षिण में स्थित है। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पार्क एवं खुले स्थानों का युक्तिसंगत रूप से प्रावधान किया गया है। भीलवाड़ा रोड़ के दक्षिण में स्टेडियम हेतु 10 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के पश्चिम में पार्क हेतु भूमि चिन्हित की गयी है। स्टेडियम मैदान में कस्बे में आयोजित होने वाले मेलों जैसे दशहरा मेला, उद्योग मेला, खादी मेला, हाट बाजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे। सवाई भोज मन्दिर गुर्जर समाज का प्रसिद्ध मन्दिर है तथा यहाँ प्रतिवर्ष बड़ा मेला आयोजित होता है। इस मेलों में भाग के लिए अनगिनत भक्तगण आते हैं। मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए लगभग 140 एकड़ भूमि मन्दिर के साथ चिन्हित की गयी है तथा आने वाली गाड़ियों की पार्किंग इसी स्थल में प्रस्तावित है। मन्दिर के पश्चिम में स्थित तालाब व इसके आस पास का क्षेत्र पार्क के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। एक अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्र लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेडियम के उत्तर में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर उद्यान हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। विस्तृत आवासीय योजनाएँ तैयार करते समय उनमें अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 189 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 13.82 प्रतिशत है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ :-

कस्बे का एकीकृत विकास करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों तथा धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु स्थलों का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों का वितरण, क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य में विकास की सम्भवनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इस भू-उपयोग हेतु 82.0 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6.00 प्रतिशत है।

5.6(1) शैक्षणिक सुविधाएँ :-

आसीन्द कस्बे में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। भविष्य में शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भीलवाड़ा जाने वाली सड़क एवं रिंग रोड़ पर व्यावसायिक संस्थान एवं कॉलेज हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भी 5 स्थलों पर भूमि प्रस्तावित की गई है। आसीन्द कस्बे में वर्ष 2031 के लिए अनुमानित 33000 जनसँख्या के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं

सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय की संख्या आंकलित की गयी है। इस उपयोग में कुल 55.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। वर्ष 2031 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका-16 में दर्शाया गया है।

तालिका-16
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, आसीन्द -2031

क्र. स.	कक्षा / स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय(1-5)	5-10	5270	10
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	4216	6
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-12)	14-17	3514	9
	योग		13000	

स्रोत :- अनुमान।

5.6(2) चिकित्सा सुविधाएँ :-

आसीन्द कस्बे में चिकित्सा सेवाओं का अभाव है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर के सामने स्थित है। इसमें 50 शैयाओं की सुविधा है। पशु चिकित्सालय केरिया खेड़ा रोड पर नदी के किनारे स्थित है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या एवं कस्बे में स्थिति के सन्दर्भ में एक सामान्य चिकित्सालय कृषि उपज मण्डी प्रागण के लगभग 5.50 एकड़ अनुपयोगी क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार औषधालय हेतु भूमि प्रस्तावित की गई हैं। एक अन्य पशु चिकित्सालय औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 3.50 एकड़ भूमि में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार इस उपयोग में कुल 14.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

5.6(3) धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल :-

आसीन्द कस्बे में गुर्जर समाज का प्रसिद्ध श्री सवाई भोज महाराज का मन्दिर है जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। मेले में लाखों की संख्या में जनता भाग लेती है। यहाँ का महल जिसके अधिकांश भाग को गिरा दिया गया है तथा आंशिक भाग में नगर पालिका कार्यालय है। सवाई भोज मन्दिर के साथ की भूमि को मेला मैदान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। नगर में स्थित सभी धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :-

कस्बे में पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन केन्द्र, धर्मशाला आदि सुविधाओं के लिए भू-उपयोग 2031 में ब्यावर रोड पर तहसील कार्यालय के सामने व अन्य विभिन्न 4 स्थानों पर भूमि प्रस्तावित की गयी है। अन्य स्थानों पर प्रस्तावित व उपलब्ध भूमि के साथ इन सुविधाओं के लिए कुल 19.0 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग हैं। इन सुविधाओं की शिक्षा व खेलकूल में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भवनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए इन हेतु स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र में इन सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए पर्याप्त भूमि के प्रावधान रखे जायेंगे जिससे इन स्थलों में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

5.6(5) जनोपयोगी सुविधाएँ :-

पेयजल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाये। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए 12.0 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गयी है जो कि प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शायी गयी है।

5.6(5) अ. जलापूर्ति :-

वर्तमान में उपलब्ध जल संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवैलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार कर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहाँ कहीं भी सम्भावनाएँ विद्यमान हों, वहाँ वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि भावी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करे। प्रयोजन के लिए नगर के विभिन्न भागों में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6(5) ब. जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

शहर में जल मल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है। जिससे सुव्यवस्थित रूप से पानी की निकासी नहीं हो रही है। नालियों पर अतिक्रमण भी पानी की निकासी के बाधक है। शहर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना

नहीं बनी हुई है। शहर में खुली नालियां होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण आसीन्द नगरीय क्षेत्र के लिए एक एकीकृत जल एवं मल निकास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजना शहर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार की जायेगी। कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे वातावरण और रहने की जगह को स्वच्छ रखने का कार्य होना आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण की जगह शहर से दूर होनी चाहिए। स्थानीय नगरपालिका द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र, तालाबों आदि पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए परिधी नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चयन कर व्यवस्थित कचरा निस्तारण स्थल विकसित किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण किये जा सकने योग्य कचरों को पृथक कर इसका पुनः उपयोग करने हेतु भी प्रयास किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर से गन्दगी के ढेरों को साफ करने के लिए तकनीकी यन्त्रों को क़य किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(5)स. विद्युत :-

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी प्रभावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ नगर में विभिन्न भागों में भूमि/स्थल आरक्षित किये गये हैं जिनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

5.6(6) श्मशान एवं कब्रिस्तान :-

वर्तमान स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा गया है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थल का चयन किया जा सकता है।

5.7 परिसंचरण :-

यह कस्बा अपने पश्य क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र का कार्यरत करता रहेगा और यहाँ पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएँ विकसित हो जायेंगी। अतः कस्बे के लिए अपने प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल पदानुक्रम में मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :-

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित रिंग रोड पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर 15 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार तालिका -16 में दर्शाया गया है-

तालिका-17
प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, आसीन्द-2031

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	बाई पास / रिंग रोड Bye Pass Road / Ring Road	36 मीटर (120 फीट)
2.	प्रमुख सड़कें Arterial Roads	30 मीटर (100 फीट)
3.	उप प्रमुख सड़कें Sub Arterial Roads	24 मीटर (80 फीट)
4.	मुख्य सड़कें Major Roads	18 मीटर (60 फीट)
5.	अन्य महत्वपूर्ण सड़कें Other Important Roads	18 मीटर से कम (60 फीट से कम)

5.7(1) अ. सड़कों का सुधार :-

कस्बे की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन होना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भीलवाड़ा, ब्यावर, बाजुन्दा, भीम, चेनपुरा से आने व जाने वाला यातायात शहर से होकर गुजरता है साथ ही बस स्टैन्ड भी शहर के मध्य होने के कारण यातायात सुगम नहीं रहता है। औद्योगिक ईकाईयाँ भी स्थापित हो रही है। अतः यातायात के सुगम संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का मार्गाधिकार विवरण तालिका-18 में दर्शाया गया है।

तालिका - 18
विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार

क्र. सं.	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क का विवरण	सड़क की चौड़ाई मीटर में
1.	मोतीपुर सड़क से सवाई भोज की भूमि के पूर्व व उत्तर से खारी नदी पार करते हुए ब्यावर रोड, बाजुन्दा रोड, चेनपुरा रोड, भीम रोड को मिलाते हुए भेरू खेड़ा बस्ती व खारी नदी पार करते हुए भीलवाड़ा जाने वाली सड़क को मिलाते हुए प्रस्तावित रिंग रोड	36
2.	विद्यमान भीलवाड़ा रोड को नगर पालिका चौराहा तक व नदी के साथ विद्यमान रोड को भेरू खेड़ा होते हुए भीम रोड तक चौड़ा किया जाना प्रस्तावित	30
3.	गोदाम के उत्तर से भीलवाड़ा रोड को पार करते हुए, मन्डी के	24

	उत्तर दिशा में ब्यावर रोड को मिलाते हुए	
4.	खारी नदी से तहसील कार्यालय तक विद्यमान ब्यावर रोड	24
5.	ब्यावर रोड से रिंग रोड तक विद्यमान बाजुन्दा रोड	24
6.	राणा राजपूत कालोनी से दक्षिण में ब्यावर रोड कास करते हुए रिंग रोड को मिलाते हुए	24
7.	खारी नदी के साथ पूर्व दिशा में लागपुरा रोड व पश्चिम दिशा में विद्यमान सड़क	18
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के पूर्व दिशा में विद्यमान नेगदिया सड़क से रिंग रोड तक	18
9.	भीलवाड़ा रोड पर थाने के पश्चिम में रिंग रोड तक प्रस्तावित सड़क	18
10.	मन्डी व सवाई भोज मन्दिर के उत्तर में रिंग रोड तक प्रस्तावित सड़क	18
11.	खारी नदी के समीप रिलाइन्स पेट्रोल पम्प के उत्तर में राणा राजपूत कालोनी ब्यावर रोड तक प्रस्तावित सड़क	18
12.	पंचायत समिति कार्यालय के पूर्व में चैनपुरा रोड व ब्यावर रोड को मिलाते हुए प्रस्तावित सड़क	18
13.	खारी नदी किनारे दरगाह से पश्चिम दिशा में ब्यावर रोड को मिलाते हुए प्रस्तावित सड़क	18
14.	शहाकूर कालोनी के पश्चिम में	18
15.	तहसील कार्यालय के पश्चिम में रिंग रोड से प्रस्तावित विद्यालय व विद्यालय के उत्तर में ब्यावर रोड से रिंग रोड तक प्रस्तावित सड़क	18
16.	पंचायत समिति कार्यालय के पश्चिम में ब्यावर रोड से रिंग रोड तक व दक्षिण में चैनपुरा रोड का मिलाते हुए	18

5.7(1) ब. प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार :-

कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों का यथा सम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। भू-उपयोग योजना में निम्नलिखित चौराहों का विकास प्रस्तावित है :-

तालिका-19
प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, आसीन्द-2031

क्र.सं.	चौराहा
1.	भीलवाड़ा रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
2.	मोतीपुर रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
3.	लागपुरा रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
4.	ब्यावर रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
5.	खातोला रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
6.	नेगदिया रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
7.	भीम रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
8.	बजुन्दा रोड व प्रस्तावित रिंग रोड चौराहा
9.	ब्यावर रोड चौराहा
10.	प्रस्तावित चिकित्सालय के पूर्व में प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी रोड व ब्यावर रोड चौराहा
11.	भीलवाड़ा रोड व प्रस्तावित बस स्टैन्ड के पूर्व में प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क का चौराहा

5.7(1) स. ओवर ब्रिज :-

खारी नदी पर वर्तमान में एक कम उंचाई की पुलिया जो रेम्प के रूप में है के अलावा उत्तर व दक्षिण दिशा में रिंग रोड के लिए दो पुलिया व कृषि मण्डी के उत्तर में प्रस्तावित रोड के लिए एक पुलिया प्रस्तावित है। इनकी योजना अलग से बनाना प्रस्तावित है।

5.7(1) द. पार्किंग व्यवस्था :-

वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो। सवाई भोज मन्दिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक मेले के लिए पार्किंग व्यवस्था भू-उपयोग प्लान में मेले के लिए आरक्षित भूमि में किया जाना प्रस्तावित है।

5.7(2) बस एवं ट्रक टर्मिनल :-

आसीन्द कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में जहाँ बसें स्टैन्ड है वह खारी नदी में स्थित जिसको स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान कृषि मन्डी परिसर में अनुपयोगी स्थान की उपलब्धता होने के फलस्वरूप 3.0 एकड़ भूमि का परिसर में प्रावधान किया गया। यह मुख्य भीलवाड़ा सड़क पर होने के कारण यातायात भी सुगम रहेगा। परिवहन सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में 8.0 एकड़ भूमि पर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है जो प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम, थोक मण्डी व औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने से

वस्तुओं के लदान की दृष्टि से उपयुक्त स्थल हैं। ट्रक स्टैण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

5.8. परिधि नियंत्रण पट्टी :-

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को नियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्रामों की आबादी से 500 मीटर की परिधि में राजस्व सग्राम की आबादी विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए आवासीय, सामुदायिक सुविधा यथा चिकित्सा, शैक्षणिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की स्वीकृति एवं 90 ए की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण :-

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक शू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के शृंखार है। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राजमार्ग के सहारे 100 फीट चौड़ी व रिंग रोड के सहारे-सहारे 50 फीट चौड़ी वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान शूमि, ओरण, गोचर, वन शूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडों, कुंओ आदि जल स्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो

सकता है। सभी सार्वजनिक—अर्द्धसार्वजनिक श्वनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीको से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग—बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

आसीन्द के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार :

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा (7) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान स्वीकृत करने के पश्चात मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर पालिका आसीन्द द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतिलिपि नगर पालिका आसीन्द द्वारा प्राप्त होने के पश्चात कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि आसीन्द के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका आसीन्द द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जायेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका आसीन्द में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका आसीन्द से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका आसीन्द मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका आसीन्द का रहेगा, जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

आसीन्द के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

आसीन्द नगर का मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/ अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना -2031 में समायोजित किये जाने का प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई स्वीकृति यथा 90-बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपान्तरण, नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया होतो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूखे रह गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू उपयोगों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होने की स्थिति में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जायगी जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। आसीन्द का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएं विकसित कर, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि कर और आसीन्द को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण
अध्याय द्वितीय
मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार योजनाएं तैयार की जायें और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित हैं, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अम्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

- (4) इस निमित्त बनाए गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्घरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST
 (GENERAL) RULES, 1962**

[Notification No.F.4(32)LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the state Government hereby makes the following Rules, namely:

RULES

1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called "THE Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

- (1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959)
- (2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act.
- (3) "Section" means a Section of the Act.
- (4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5(i).

¹[(1) The draft master plan prepared by the officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and it at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. ²[If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely:
- (a) Town map showing General Layout of the roads and streets in the town.
- (b) Base Map showing the generalized existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
- (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the urban areas such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :(1)

¹(1) After considering the Objections/Suggestion and representation which may be received by the officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council if constituted under section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the state Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form "B" stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

प.10(155) न.वि.वि./3/10

जयपुर दिनांक 26 जुलाई 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को आसीन्द के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र. सं.	मूळरूप	हिन्दी
1	ASIND	आसीन्द
2	ARJUNPURA	अर्जुनपुरा
3	BHAIROO KHERA	भैरु खेड़ा
4	BARA KHERA	बड़ा खेड़ा
5	KHATOLA	खातोला
6	PRATAPPURA	प्रतापपुरा
7	GOPALPURA	गोपालपुरा
8	RAGUNATHPURA	रघुनाथपुरा

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(पुरुषोत्तम बियाणी)
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,
प.10(154) न.वि.वि./3/10 जयपुर दिनांक 15फरवरी 2011

संशोधन-अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.10 (154) नविवि/3/2010 दिनांक 26.07.2010 द्वारा आसीन्द (जिला-भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को नियुक्त किया गया है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए आसीन्द नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम क्रमवार और सम्मिलित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	English	हिन्दी
9	SOPURA	सोपुरा
10	DARAWAT	दड़ावट

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
(पुरुषोत्तम बियाणी)
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,
प.10(154) न.वि.वि./3/10 जयपुर दिनांक 23मई 2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.02.2011 के द्वारा यथा अधिसूचित "आसीन्द जिला भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान 2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान 2031 की प्रति का अवलोकन नगरपालिका, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय